



अध्याय VII

सेवा का गलत वर्गीकरण

7.1 डब्ल्यूसीएस संयोजन योजना में चले जाना

1 जून 2007 से वित्त अधिनियम के द्वारा नई सेवा डब्ल्यूसीएस शुरू करते हुए, सरकार ने उसी तारीख से संयुक्त योजना भी शुरू की। इससे सेवा सम्भरक को निर्माण ठेकों के लिए सकल प्रभारित राशि पर दो प्रतिशत (1 मार्च 2008 से 4 प्रतिशत तक बढ़ाया गया) की दर पर सेवा कर अदा करने का विकल्प दिया गया था।

जनवरी 2008 में बोर्ड ने स्पष्टीकरण दिया कि उत्थापन चालू करने या प्रतिष्ठापन सेवाओं के लिए, सीसीएस या सीओएन, जैसी भी स्थिति हो, के ठेकों पर 1 जून 2007 से पहले मुहैया कराई गई भुगतान योग्य सेवाओं पर, जहां किसी सेवा सम्भरक ने सेवा कर अदा किया था, 1 जून 2007 पर या उसके बाद के उसी ठेके के वर्गीकरण को बदलने का हकदार नहीं था और डब्ल्यूसीएस के अधीन संयोजन योजना का लाभ उठाने का हकदार नहीं था।

हमने 60 मामलों की पहचान की, जहां सेवा सम्भरकों ने 1 जून 2007 से पहले सीसीएस और सीओएन ठेकों के अधीन सेवा कर अदा किया था। 1 जून 2007 के बाद उन्होंने सभी चालू ठेकों को डब्ल्यूसीएस के रूप में मान लिया और संयोजन योजना के अधीन 2 प्रतिशत दर का कर अदा किया। इस प्रकार का परिवर्तन अनियमित है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 95.74 करोड़ के सेवा कर का कम भुगतान हुआ, ₹ 14.56 करोड़ के ब्याज और ₹ 95.74 करोड़ तक की शास्ति उगाही जा सकती थी।

हैदराबाद II कमिशनरी में, ऐसे एक मामले मैं लैन्को इनफ्राट्रैक लि., जो सीसीएस मुहैया कराने के काम में लगा था, ने इस सेवा के अधीन मई 2007 तक सेवा कर अदा किया परन्तु चालू निर्माण कार्यों के लिए डब्ल्यूसीएस के अधीन 1 जून 2007 से 2 प्रतिशत की दर पर सेवा कर अदा करना शुरू किया जब कि इस प्रकार का परिवर्तन अनुज्ञेय नहीं था। निर्धारिती ने जुलाई 2007 से मार्च 2008 की अवधि के दौरान ₹ 229.99 करोड़ की सीसीएस मुहैया की और वह ₹ 75.57 करोड़ अर्थात् मुहैया की गई सेवा का 33 प्रतिशत पर ₹ 9.34 करोड़ के सेवा कर के लिए दायी था परन्तु उसने केवल ₹ 1.56 करोड़ का सेवा कर ही अदा किया। इस प्रकार गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 7.78 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (मार्च 2008), विभाग ने आपत्ति स्वीकार की (नवम्बर 2008) और बताया कि ब्याज और शास्ति सहित ₹ 7.78 करोड़ के लिए एससीएन जारी किया गया था।

ऐसे ही कुछ अन्य मामले नीचे तालिकाबद्ध किये गये हैं:-

तालिका सं. 7

(राशि लाख रूपये में)

निर्धारिती और कमिशनरी	1 जून 2007 के बाद मुहैया की गई सेवा का कुल मूल्य	सीसीएस/सीओ एन के अधीन अदा करने योग्य कर	डब्ल्यूसीएस के अधीन मानते हुए वास्तव में भुगतान किया गया कर	कम भुगतान		
				एसटी	व्याज	शास्ति
नोयडा में मै. आहलूवालिया कन्ट्रैक्ट (इण्डिया) लि.	5929	733	122	611	79	611
अहमदाबाद एसटी में मै. जेएमसी प्रोजैक्ट्स इण्डिया लि.	17448	712	360	352	46	352
गुडगांव में मै. मिलैनियम कन्सट्रक्शन (प्राइवेट) लिमिटेड	6036	246	187	59	8	59
मुम्बई एसटी में मै. जयन्त फर्निशर्स	2124	263	44	219	28	219
कोलकाता एसटी में मै. सुभाष प्रोजेक्ट एण्ड मार्किटिंग	216	87	44	43	13	43
राजकोट में मै. एसार कन्सट्रक्शन इण्डिया लि.	15463	1893	319	1574	409	1574

7.2 कम्पोज़िशन स्कीम के अधीन लिया गया इनपुट क्रेडिट

एक सेवा सम्भरक, जो वर्क्स कन्ट्रैक्ट कम्पोज़िशन स्कीम का विकल्प देता है, उसको कन्ट्रैक्ट में प्रयुक्त किसी इनपुट पर अदा किये गये शुल्क या सैस का सेनवेट क्रेडिट लेना अनुज्ञेय नहीं है।

पूणे III कमिशनरी में, मै. रोहन बिल्डर्स (इंडिया) प्रा. लि. ने एक प्रोजेक्ट मै. सूसेन एशिया, सतारा के लिए वर्क्स कन्ट्रैक्ट कम्पोज़िशन स्कीम के अन्तर्गत ₹ 26.67 लाख का सेवा कर अदा किया था। हमने पाया कि निर्धारिती ने प्रोजेक्ट के लिए प्रयुक्त इनपुटों पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया था और वह कम्पोज़िशन स्कीम के लिए अपात्र था। वह ₹ 12.95 करोड़ की कुल प्राप्ति पर सीसीएस के लिए लागू दर पर ₹ 1.60 करोड़ के सेवा कर का दायी था।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.33 करोड़ और ₹ 13.48 लाख के ब्याज का कम भुगतान हुआ।

7.3 सेवा को बिक्री के रूप में मानने के कारण सेवा कर का अपवंचन

एक वर्क्स कन्ट्रैक्ट के दो संघटक, माल में सम्पत्ति का अन्तरण और मुहैया की गई वर्क्स कन्ट्रैक्ट सेवाएं, होते हैं। जहां माल में सम्पत्ति के अन्तरण में वास्तविक मूल्य पर वैट या बिक्री कर का भुगतान किया गया हो, वहां कन्ट्रैक्ट के अधीन मुहैया की गई सेवाओं का मूल्य निर्णीत करने के लिए यह वास्तविक मूल्य निर्माण-कार्य कन्ट्रैक्ट की कुल राशि से घटाना चाहिए।

2007-08 की अवधि के लिए, दिल्ली की एसटी कमिशनरी में, डब्ल्यूसीएस के लिए मै. अन्तर राज कन्सट्रक्शन एण्ड डेवलपमेन्ट प्रा. लि. रजिस्टर हुई थी। हमने पाया कि इसने कुछ काम उप ठेकेदारों द्वारा कराये जैसे कि बैच प्लांट के जरिये, विशिष्ट बल के सीमेन्ट कन्कीट का उपलब्ध करना और बिछाया जाना और सेन्टरिंग और शटरिंग का उप ठेकेदारों द्वारा कराया जाना। उप ठेकेदारों ने कम्पोज़िशन स्कीम के वैट/ बिक्री-कर के तहत निर्धारिती से निर्माण कार्य कन्ट्रैक्ट-कर प्रभारित किया। निर्धारिती ने उप ठेकेदारों को प्रदत्त कर के लिए इनपुट सेवा का सेनवेट क्रेडिट लिया। इसके बाद, निर्धारिती ने इन निर्माण कार्यों को अन्तिम प्रयोक्ता को सामग्री की बिक्री के रूप में मान लिया और उसने कोई सेवा कर अदा नहीं किया। इस प्रकार के निर्माण कार्यों का कुल मूल्य ₹ 6.94 करोड़ बनता था। यह स्पष्ट था कि उप ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य में माल और सेवाएं शामिल थी निर्धारिती द्वारा बिक्री के रूप में नहीं माना जा सकता था। चूंकि उपठेकेदारों ने निर्धारिती को वैट/बिक्री-कर कम्पोज़िट स्कीम के तहत प्रभारित किया था, अतः माल और सेवाओं के मूल्य को अलग नहीं किया गया था और डब्ल्यूसीएस के अधीन निर्धारिती को ₹ 29.74 लाख का सेवा कर अदा करना था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 29.74 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 11.72 लाख का ब्याज और शास्ति भी वसूली योग्य थी।

जब हमने इंगित किया (मार्च 2009), विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2010) कि एससीएन जारी किया जा चुका था।